

HPFD-F05/198/2024-FCA

वन विभाग हिमाचल प्रदेश ।।

प्रेषक: नोडल आफिसर एवं प्र० मुख्य
अरण्यपाल (एफ०सी०ए०)हि०प्र० ।

प्रेषित: क्षेत्रीय अधिकारी,
उप-कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
भारतीय वन सर्वेक्षण, क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तरीय), चण्डीगढ़
सी०जी०ओ० काम्प्लैक्स, ि त्वालिक खण्ड, लौंगबुड,
ि त्मला, हिमाचल प्रदेश ।-1710001

दिनांक ि त्मला-1

विषय: **Diversion of 0.4614 ha of forest land in favour of HPPWD for the construction of link road from PHC Badahari Gurshali to Village Dawath (Kms. 0/00 to 1/500), within the jurisdiction of Shimla Forest Division, District Shimla, Himachal Pradesh (FP/HP/ROAD/143552/2021)**

महोदय,

आपके कार्यालय के पत्र दिनांक 18.09.2024 के संदर्भ में जिसके माध्यम से विशयाधिन प्रस्ताव को सैन्द्घातिक स्वीकृति प्रदान की गई है।

2 उपरोक्त सन्दर्भ के अधिन पत्र के द्वारा इस प्रस्ताव को सैन्द्घातिक स्वीकृति प्रदान की गई जिसकी अनुपालना निम्न प्रकार से प्रस्तुत है :-

शर्त	उत्तर
<p>प वे भारतें जिनका राज्य वन विभाग द्वारा वन भूमि सौंपने से पहले अनुपालन करने की आव यकता है:</p> <p>पप प्रयोत्का ऐजेंसी से CA स्कीम के अनुसार प्रति पूर्ति पौधारोपण की जमा राि त् जमा करावाई जाए।</p>	<p>प्रयोत्का ऐजेंसी से CA स्कीम के अनुसार प्रति पूर्ति पौधारोपण की राि त् जमा करावा ली है।</p>
<p>पपप राज्य सरकार माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा IA No. 3840 in WP (C) No. 202/1995 के अंतर्गत दिनांक 08.02.2023 को जारी आदे त्ों की अनुपालना सुनिश्चित करेंगी।</p>	<p>राज्य सरकार माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा IA No. 3840 in WP (C) No. 202/1995 के अंतर्गत दिनांक 08.02.2023 को जारी आदे त्ों की अनुपालना सुनिश्चित करेंगी।</p>
<p>पपपप WP (C) No. 202/1995, IA No. 566 में माननीय उच्चतम न्यायालय के आदे त् दिनांक 30.10.2002, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा पर्यावरण , वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय , भारत सरकार , नई दिल्ली के निर्दे त् संख्या 5-3/2011-FC (vol-I) दिनांक 06.01.2022 के अनुसार प्रयोत्का ऐजेंसी से प्रस्तावित वन भूमि 0.4614 हेक्टेयर की नैट वैल्यु जमा करवाई जाए ।</p>	<p>WP (C) No. 202/1995, IA No. 566 में माननीय उच्चतम न्यायालय के आदे त् दिनांक 30.10.2002, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा पर्यावरण , वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय , भारत सरकार , नई दिल्ली के निर्दे त् संख्या 5-3/2011-FC (Vol-I) दिनांक 06.01.2022 के अनुसार प्रयोत्का ऐजेंसी से प्रस्तावित वन भूमि 0.4614 हेक्टेयर की नैट वैल्यु जमा करवाई जाए।</p>
<p>पपपप प्रयोत्का ऐजेंसी सभी भुगतान रा ि पर्यावरण वन एवं वन जलवाय परिवर्तन मंत्रालय की</p>	<p>प्रयोत्का ऐजेंसी सभी भुगतान रा ि पर्यावरण वन एवं वन जलवाय परिवर्तन मंत्रालय की वेबसाइट</p>

	वेबसाइट www.parivesh.nic.in पर केवल ऑनलाइन माध्यम से CAMPA Fund में जमा करवाई जाए।	www.parivesh.nic.in पर केवल ऑनलाइन माध्यम से CAMPA Fund में जमा करवाई जाए।
अप	पूर्ण अनुपालन रिपोर्ट e-portal (https://parivesh.nic.in/) में अपलोड की जाए।	पूर्ण अनुपालन रिपोर्ट e-portal (https://parivesh.nic.in/) में अपलोड कर ली है।
अपप	प्रयोक्ता एजेंसी को यह सुनिश्चित करना है कि प्रतिपूरक भुल्क (सीए लागत, एन पी वी, आदि) वेब पोर्टल पर ऑन लाइन उत्पन्न चालान के माध्यम से जमा किए जाते हैं और केवल उपयुक्त बैंक में जमा किए जाते हैं। अन्य माध्यम से जमा की गई राशि को Stage-I clearance के अनुपालन के रूप में विकार नहीं किया जाएगा।	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा प्रतिपूरक भुल्क (सीए लागत, एन पी वी, आदि) वेब पोर्टल पर ऑन लाइन उत्पन्न चालान के माध्यम से जमा की गई है और केवल उपयुक्त बैंक में यह राशि जमा कर ली है।
अपपप	प्रयोक्ता एजेंसी यह सुनिश्चित करेगी कि सभाग में कोई अन्य प्रस्ताव, जिसके लिए Stage-I पहले ही स्वीकृत किया जा चुका है, Stage-I अनुमोदन की शर्तों के अनुपालन के लिए अभी लंबित नहीं है। इस आदेश का एक वचन पत्र कि इस मंडल के पास Stage-I अनुमोदन की शर्तों के अनुपालन के लिए ऐसा कोई प्रस्ताव लंबित नहीं है प्रस्तुत किया जाए। इस कार्यालय द्वारा इस प्रस्ताव की अंतिम मंजूरी के लिए अनिवार्य होगा।	इस आदेश का एक वचन पत्र कि इस मंडल के पास Stage-1 अनुमोदन की शर्तों के अनुपालन के लिए ऐसा कोई प्रस्ताव लंबित नहीं है, प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत किया गया है।
टप्प	FRA 2006 की अनुपालन सम्बंधित जिला कलेक्टर द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र किया जाएगा।	FRA 2006 का अनुपालन सम्बंधित जिला कलेक्टर द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र किया जाएगा।
ठप	वे शर्तों जिनका राज्य वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता एजेंसी को वन भूमि सौंपने के बाद फिल्ट में कड़ाई से पालन करने की आवश्यकता है, परन्तु अडॉरटेकिंग के रूप में अनुपालन स्टेज-1 अनुमोदन से पहले प्रस्तुत किया जाना है।	वन भूमि के अधिक परिस्थिति बदली नहीं जाएगी। इस सम्बन्ध में प्रयोक्ता अभिकरण ने बचनबद्धता दी है।
1प	वन भूमि के अधिक परिस्थिति बदली नहीं जाएगी।	
2प	काटे जाने वाले वृक्षों/पौधों की संख्या किसी भी रूप में प्रस्ताव में दर्शायी गई संख्या से अधिक नहीं होगी और वृक्षों की कटाई के दौरान वन्य जीवों को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा।	काटे जाने वाले वृक्षों/पौधों की संख्या किसी भी रूप में प्रस्ताव में दर्शायी गई संख्या से अधिक नहीं होगी और वृक्षों की कटाई के दौरान वन्य जीवों को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। इस सम्बन्ध में प्रयोक्ता अभिकरण ने बचनबद्धता दी है।
3प	राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित सी0ए0 योजना के अनुसार 200 Tall Plant पौधों के पौधरोपण का कार्य Block/compartment/Survey No-NDPF Chanwag, Village-Chanawag, Bhajji Forest Range, Shimla Forest Division, Distt. Shimla, Himachal Pradesh पर सीए किया जाएगा और धन उपयोग कर्ता एजेंसी द्वारा प्रदान किया	राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित सी0ए0 योजना के अनुसार 200 Tall Plant पौधों के पौधरोपण का कार्य Block/compartment/Survey No-NDPF Chanwag, Village-Chanawag, Bhajji Forest Range, Shimla Forest Division, Distt. Shimla, Himachal Pradesh पर सीए किया जाएगा और धन उपयोग कर्ता एजेंसी द्वारा प्रदान किया जाएगा। अनुमोदन जारी होने की तिथि से एक वर्ष के

<p>जाएगा। अनुमोदन जारी होने की तिथि से एक वर्ष के भीतर वृक्षा रोपण किया जाएगा। यथा संभव हो स्थानीय देशी प्रजाति मिश्रित रूप से रोपित किए जायेंगे एवं किसी भी प्रजाति का monocultural नहीं होगा।</p>	<p>भीतर वृक्षा रोपण किया जाएगा। यथा संभव हो स्थानीय देशी प्रजाति मिश्रित रूप से रोपित किए जायेंगे एवं किसी भी प्रजाति का monocultural नहीं होगा। इस सम्बन्ध में प्रयोक्ता अभिकरण ने बचनबद्धता दी है।</p>
<p>4^प प्रस्तावित सी0ए0 भूमि, यदि राज्य वन विभाग के नाम है तो उससे सम्बन्धित दस्तावेज, अन्यथा IFA, 1927 के अन्तर्गत अधिसूचित करा कर, तत्संबन्धित दस्तावेज विधिवत स्वीकृति के पहले प्रस्तुत किया जाएगा।</p>	<p>सम्बन्धित दस्तावेज वनमण्डलाधिकारी की अनुपालना रिपोर्ट के साथ संलग्न है।</p>
<p>5^प राज्य सरकार वन भूमि को प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपने से पहले FSI के ई-ग्रीन पोर्टल में प्रतिपूरक वन रोपण के लिए स्वीकृत वन क्षेत्र की के0एम0एल0 फाईल को अपलोड की जाएगी।</p>	<p>राज्य सरकार वन भूमि को प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपने से पहले FSI के ई-ग्रीन पोर्टल में प्रतिपूरक वन रोपण के लिए स्वीकृत वन क्षेत्र की के0एम0एल0 फाईल को अपलोड की जाएगी। इस सन्दर्भ की बचनबद्धता संलग्न है।</p>
<p>6^प वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में द ाए गये उदे य के अलावा किसी अन्य उदे य के लिए नहीं किया जायेगा।</p>	<p>वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में द ाए गये उदे य के अलावा किसी अन्य उदे य के लिए नहीं किया जायेगा। इस सम्बन्ध में प्रयोक्ता अभिकरण ने बचनबद्धता दी है।</p>
<p>7^प माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्दे ां अनुसार, जब कभी भी NPV की रा ि बढाई जाएगी तो उस बढी हुई NPV की रा ि को जमा करने के लिए प्रयोक्ता एजेसी बाध्य होगी और राज्य सरकार बढी रा ि जमा करना सुनिश्चित करेगे।</p>	<p>माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्दे ां अनुसार, जब कभी भी NPV की रा ि बढाई जाएगी तो उस बढी हुई NPV की रा ि को जमा करने के लिए प्रयोक्ता एजेसी बाध्य होगी और राज्य सरकार बढी रा ि जमा करना सुनिश्चित करेगे। इस सम्बन्ध में प्रयोक्ता अभिकरण ने बचनबद्धता दी है।</p>
<p>8^प State Govt shall submit the correct & Legible revised Component wise breakup (Forest/Non-forest area), duly authenticated by compentent authority.</p>	<p>The correct & Legible revised Component wise breakup (Forest/Non-forest area), duly authenticated by compentent authority is uploaded with the compliance report of UA and DFO concern.</p>
<p>9^प Soil and Moisture Conservation Plan along with detail cost of its implementation into the account of CAMPA is required to be submitted along with Stage-I compliance. However, in cases where it is not possible for the State Govt. to submit the compliance due to delay in preparation of such Plan, a lump sum amount of 0.5% of the project cost shall be realized from the User Agency and submitted along with the Stage - I compliance. The deficit amount, as per said Plan, if any, from the money already realized to the tune of 0.5% of project cost shall be deposited in the CAMPA account and same may be intimated to the MoEF&CC for the purpose of obtaining approval under the para-</p>	<p>The user agency has deposited the total amount of SMCP. The SMCP is also attached with the compliance report of UA and DFO concerned.</p>

1.22 (ii) of the Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhiniyam, 1980.	
10 ^प एवेन्चू वृक्षारोपण, सड़क के दोनों ओर व मध्य भाग पर आईआरसी विनिर्देश के अनुसार उपयोग कर्ता एजेंसी द्वारा किया जाएगा।	एवेन्चू वृक्षारोपण, सड़क के दोनों ओर व मध्य भाग पर आईआरसी विनिर्देश के अनुसार उपयोग कर्ता एजेंसी द्वारा किया जाएगा। इस सम्बन्ध में प्रयोक्ता अभिकरण ने बचनबद्धता दी है।
11 ^प स्थानान्तरण के लिए प्रस्तावित वन भूमि को केंद्रीय सरकार की पूर्ति के बिना किसी भी परिस्थिति में किसी अन्य एजेंसी, विभाग या व्यक्ति विशेष को हस्तांतरित नहीं किया जाएगा।	स्थानान्तरण के लिए प्रस्तावित वन भूमि को केंद्रीय सरकार की पूर्ति के बिना किसी भी परिस्थिति में किसी अन्य एजेंसी, विभाग या व्यक्ति विशेष को हस्तांतरित नहीं किया जाएगा। इस सम्बन्ध में प्रयोक्ता अभिकरण ने बचनबद्धता दी है।
12 ^प केंद्रीय सरकार की अनुमति के बिना प्रस्ताव की ले-आउट प्लान को बदला नहीं जाएगा।	केंद्रीय सरकार की अनुमति के बिना प्रस्ताव की ले आउट प्लान को बदला नहीं जाएगा। इस सम्बन्ध में प्रयोक्ता अभिकरण ने बचनबद्धता दी है।
13 ^प वन भूमि में किसी भी प्रकार का कोई श्रमिक विवर नहीं लगाया जायेगा।	वन भूमि में किसी भी प्रकार का कोई श्रमिक विवर नहीं लगाया जायेगा। इस सम्बन्ध में प्रयोक्ता अभिकरण ने बचनबद्धता दी है।
14 ^प प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा वांछित भूमि संरक्षण पैमाने उपयोग किये जायेंगे, जिसके लिए प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा वर्तमान दरों पर धनराशि उपलब्ध करायी जायेगी।	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा वांछित भूमि संरक्षण पैमाने उपयोग किये जायेंगे, जिसके लिए प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा वर्तमान दरों पर धनराशि उपलब्ध करायी जायेगी। इस सम्बन्ध में प्रयोक्ता अभिकरण ने बचनबद्धता दी है।
15 ^प परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त या नया पथ नहीं बनाया जाएगा।	परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त या नया पथ नहीं बनाया जाएगा। इस सम्बन्ध में प्रयोक्ता अभिकरण ने बचनबद्धता दी है।
16 ^प प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा श्रमिकों तथा कार्य स्थल पर कार्यरत स्टाफ को अधिमानत वैकल्पिक इंधन उपलब्ध करायेगी, ताकि साथ लगे वन क्षेत्र को किसी प्रकार के नुकसान तथा दबाव से बचाया जा सकता है।	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा श्रमिकों तथा कार्यस्थल पर कार्यरत स्टाफ को अधिमानत वैकल्पिक इंधन उपलब्ध करायेगी, ताकि साथ लगे वन क्षेत्र को किसी प्रकार के नुकसान तथा दबाव से बचाया जा सकता है। इस सम्बन्ध में प्रयोक्ता अभिकरण ने बचनबद्धता दी है।
17 ^प प्रयोक्ता एजेंसी राज्य के मुख्य वन्य जीव संरक्षण द्वारा तैयार की गयी योजना के अनुसार उस क्षेत्र के वनस्पति और प्राणी समुह के संरक्षण तथा परिसंरक्षण में राज्य सरकार की सहायता करेगी।	प्रयोक्ता एजेंसी राज्य के मुख्य वन्य जीव संरक्षण द्वारा तैयार की गयी योजना के अनुसार उस क्षेत्र के वनस्पति और प्राणी समुह के संरक्षण तथा परिसंरक्षण में राज्य सरकार की सहायता करेगी। इस सम्बन्ध में प्रयोक्ता अभिकरण ने बचनबद्धता दी है।
18 ^प स्थानांतरित वन भूमि की सीमायें आगे तथा पिदे लिखे गए क्रम संख्या वाले 4 फिट उंचे सीमेंट के खंभों द्वारा चिह्नित की जाएगी।	स्थानांतरित वन भूमि की सीमायें आगे तथा पिदे लिखे गए क्रम संख्या वाले 4 फिट उंचे सीमेंट के खंभों द्वारा चिह्नित की जाएगी। इस सम्बन्ध में प्रयोक्ता अभिकरण ने बचनबद्धता दी है। इस सम्बन्ध में प्रयोक्ता अभिकरण ने बचनबद्धता दी है।
19 ^प संरक्षित क्षेत्रों/वन क्षेत्रों में नियमित अंतराल पर सड़क के किनारे स्पीड रेगुलेटिंग साईनेज लगाए जाएंगे।	संरक्षित क्षेत्रों/वन क्षेत्रों में नियमित अंतराल पर सड़क के किनारे स्पीड रेगुलेटिंग साईनेज लगाए जाएंगे। इस सम्बन्ध में प्रयोक्ता अभिकरण ने बचनबद्धता दी है।
20 ^प प्रयोक्ता एजेंसी की सीडब्ल्यूएलडब्ल्यू/एनबीडब्ल्यूएल/आरईसी की सिफारिशों के अनुसार संरक्षित क्षेत्र में उपयुक्त अंडर/ओवरपास उपलब्ध कराएगी।	प्रयोक्ता एजेंसी की सीडब्ल्यूएलडब्ल्यू/एनबीडब्ल्यूएल/आरईसी की सिफारिशों के अनुसार संरक्षित क्षेत्र में उपयुक्त अंडर/ओवरपास उपलब्ध कराएगी। इस सम्बन्ध में प्रयोक्ता अभिकरण ने बचनबद्धता दी है।
21 ^प यदि आवश्यक हो तो प्रयोक्ता एजेंसी पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986 के अनुसार पर्यावरण अनुमति प्राप्त करेगी।	यदि आवश्यक हो तो प्रयोक्ता एजेंसी पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986 के अनुसार पर्यावरण अनुमति प्राप्त करेगी। इस सम्बन्ध में प्रयोक्ता अभिकरण ने बचनबद्धता दी है।

	दी है।
22 ^ण परियोजना निर्माण से उत्सर्जित मलवे निस्तारण प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा केवल परियोजना स्थल पर ही किया जाएगा तथा इसके अन्यत्र मलवा नहीं फेंका जाएगा।	परियोजना निर्माण से उत्सर्जित मलवे निस्तारण प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा केवल परियोजना स्थल पर ही किया जाएगा तथा इसके अन्यत्र मलवा नहीं फेंका जाएगा। इस सम्बन्ध में प्रयोक्ता अभिकरण ने बचनबद्धता दी है।
23 ^ण इस प्रस्ताव को 99 वर्षों के लिए अनुमति प्रदान की जायेगी, इसके उपरांत पुनः यह अनुमति भारत सरकार से प्राप्त करनी होगी। इस अनुमोदन के तहत की अवधि 1 प्रयोक्ता एजेंसी के पक्ष में दी जाने वाली की अवधि या परियोजना की अवधि, जो भी कम हो, के सह-समाप्ति होगी।	प्रयोक्ता अभिकरण इस शर्त से सहमत है। इस सम्बन्ध में प्रयोक्ता अभिकरण ने बचनबद्धता दी है।
24 ^ण अन्य कोई भी भारत इस क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा वन तथा वन्य जीवों के संरक्षण, सुरक्षा तथा विकास हेतु समय-समय पर लगाई जा सकती है।	प्रयोक्ता अभिकरण इस शर्त से सहमत है। इस सम्बन्ध में प्रयोक्ता अभिकरण ने बचनबद्धता दी है।
25 ^ण यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदे 1/अनुच्छेद आदि तथा विकास हेतु होते हैं तो उनके अधिन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार की जिम्मेवारी होगी।	प्रयोक्ता अभिकरण इस शर्त से सहमत है। इस सम्बन्ध में प्रयोक्ता अभिकरण ने बचनबद्धता दी है।
26 ^ण इनमें से किसी भी भारत का उल्लंघन वन संरक्षण अधिनियम, 1980 का उल्लंघन होगा तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के Handbook of Forest (Conservation) Act, 1980 and Forest Conservation Rules, 2003 (Guidelines & Clarifications), 2019 में उल्लेखित दि 1.21 के अनुसार कार्यवाई की जायेगी।	प्रयोक्ता अभिकरण इस शर्त से सहमत है। इस सम्बन्ध में प्रयोक्ता अभिकरण ने बचनबद्धता दी है।

अतः आपसे निवेदन है कि प्रस्ताव को वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत विधिवत स्वीकृति प्रदान की जाए।

भवदीय,

नोडल आफिसर एवं प्र० मुख्य
अरण्यपाल(एफ०सी०ए०)हि०प्र०

